न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/49/2025
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/202

अपीलार्थी :–
श्री किशनलाल वर्मा
निवासी –69 अम्बेडकर नगर जयपुर।
पिनः–302015

बनाम

प्रत्यर्थी :–
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ

प्रवेश तिथि :: 10.10.2025
प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.11.2025

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 10.07.2025 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी राजगढ से संबंधित सूचना चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 03.10.2025 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस क्रमांक 585 दिनांक 15.10.2025 जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में पत्रांकः 1222 दिनांक 06.11.2025 मय संलग्नक, जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबध में अपीलार्थी को पूर्व में पत्रांक 455 दिनांक 20.08.2025 द्वारा सूचित किया जा चुका है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 06.11.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

अति0 जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज.)